



RHCFC-NGO



# जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश

पृष्ठ-2

## ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और / या इसकी उप समिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी. / पानी समिति / प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और डी.डब्ल्यू.एस.एम.को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है आई.एस.ए.द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तैयारी की तारीख 5/11/2024 ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख 15/11/2024  
 डी.डब्ल्यू.एस.एम.को प्रस्तुत किए जाने की तारीख \_\_\_\_\_  
 2. ग्राम का नाम पिनामई ग्राम पंचायत का नाम पिनामई  
 ब्लॉक का नाम सालनी जिला का नाम हाथरस  
 राज्य का नाम उत्तर प्रदेश ग्राम जनगणना कोड \_\_\_\_\_  
 (यदि लागू हो, तो बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

### 2. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा: 2 (संख्या) मवेशी कुंड़ों को और 02 (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात 02 घण्टे निर्धारित गुणवत्ता वाले 55 एल.पी.सी.डी. जल आपूर्ति वर्ष-2024 तक ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ. एच.टी. सी.प्रदान करना। हम ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंत ग्राम जल आपूर्ति अवसरचना के अपनात्व, प्रबंधन प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करने और अपने मीठे पानी को बचाएंगे। यह संकल्प लिया जाता कि पूजा लागत का 10% प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का मुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

### 11. ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजन-कार्यान्वयन, प्रबंधन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी।

(ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति) पिनामई  
 अध्यक्ष का नाम सुमन देवी लिंग महिला आयु 419

S.N.	सदस्य का नाम	लिंग	आयु
	<u>मिता कुमारी</u>	<u>महिला</u>	<u>35</u>
	<u>मिनेता दे</u>	<u>॥</u>	
	<u>रश्मि कुमारी</u>	<u>५</u>	<u>24</u>

### 6. 2011की जनगणना के अनुसार

जनसंख्या 3317  
 परिवारों की संख्या 200  
 महिलाओं की संख्या 400  
 पुरुषों की संख्या 700  
 बच्चों की संख्या 300  
 एफ.एच.टी.सी. की संख्या 200

### वर्तमान पंचायत/आंगनवाड़ी रिकॉर्ड के अनुसार

वर्तमान जनसंख्या 3817  
 परिवारों की संख्या 295  
 महिलाओं की संख्या 450  
 पुरुषों की संख्या 740  
 बच्चों की संख्या 375  
 एफ.एच.टी.सी. की संख्या 200

3317  
 250



# RHCF-NGO



3

7 जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि) 107 किलोलीटर / दिन (के.एल.डी.) अंतिम चरण

वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान संख्या में 32% वृद्धि) 120 किलोलीटर / दिन (के.एल.डी.)

8 वर्तमान मदेदबी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड) 36

9 कृषि फसल पैटर्न:

मुख्य फसलें खरीफ रबी

10 औसत जिला वर्षा (मि.मी. में) 75 11. स्थलाकृति(समतल, डलान, आदि).....

1V स्थिति विप्लवण

12 क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है(हाँ/नहीं) (ग्राम कार्य योजना के साथ मानचित्र संलग्न करें)

13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है(हाँ/नहीं) (ग्राम कार्य योजना के साथ मानचित्र संलग्न करें)

14

क्रम.स.	सार्वजनिक संस्था का नाम	क्या एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध है(हाँ/नहीं)	क्या वर्षा जलसंचयन संरचना उपलब्ध है (हाँ/नहीं)	सोखा गड्डों को उपलब्धता (हाँ/नहीं)
1	स्कूल	हाँ/नहीं	हाँ/नहीं	हाँ/नहीं
2	आंगनवाड़ी	हाँ/नहीं	हाँ/नहीं	हाँ/नहीं
3	स्वास्थ्य केंद्र	हाँ/नहीं	हाँ/नहीं	हाँ/नहीं
4	ग्राम पंचायत भवन	हाँ/नहीं	हाँ/नहीं	हाँ/नहीं
5	अन्य	हाँ/नहीं	हाँ/नहीं	हाँ/नहीं

पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15 पानी की वेतनमान आवश्यकता जनसंख्या X दर 91 के.एल.डी.

मदेधियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता 27 के.एल.डी.

मदेधी कुओं की आवश्यकता संख्या 02

मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता -जनसंख्या X दर 107 के.एल.डी.

अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता -जनसंख्या X दर 120 के.एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16 गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/चक्रवात/बाद या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता समग्र प्रवृत्ति:

17 आपातकालिन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकिचों, रेल गाड़ियों, आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति।

18 पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त

19 जल जनित रोगों का इतिवृत्त

पानी की गुणवत्ता

20 फील्ड परीक्षण किट/वाचल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीखें...

21 सैनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीखें.....

22 जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता : स्रोत का नाम (अवस्थिति).....

मापदंड	तरीका	परिणाम
गंदगी	दृश्य तुलना	
पीएच	पट्टी रंग तुलना	
पूर्ण लवणता	टिट्रोमेट्रिक विधि	
पूर्ण क्षारीयता	टिट्रोमेट्रिक विधि	
क्लोराइड	टिट्रोमेट्रिक विधि	
अमोनिया	दृश्य रंग तुलना	
फास्फेट	दृश्य रंग तुलना	
अवशिष्ट क्षारीयता	दृश्य रंग तुलना	
आयरन	दृश्य रंग तुलना	
नाइट्रेट	दृश्य रंग तुलना	
फ्लोराइड	दृश्य रंग तुलना	



# RHCF-NGO



आसैनिक (हॉटरस्पॉट में)	मुख्य रंग तुलना
------------------------	-----------------

कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान:-

23. यह सम्भावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और / या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिसमें कपड़े धोने / स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं.....

अवस्थिति का नाम	घरों की संख्या	आबादी

24. भू-जल स्रोत के मामले में क्या बोरेवेल रिचार्ज संरचना है(है/नहीं)

25. गाँव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका कार्यालय / मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है:

गदले जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65) 95% के.एल.डी.

अलग-अलग सोखता गड्डों वाले परिवारों की संख्या 10

उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गड्डों की आवश्यकता है.....

आवश्यक सामुदायिक सोखता गड्डों की संख्या 5

क्या अपविष्ट जलछट तालाब की आवश्यकता है(है/नहीं)

यदि हा.तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है.....

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए वाटर

V जल आपूर्ति योजना

27 निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी.प्रदान किए जाएंगे:

टर्मिन छोड़ तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी के तहत पुरु की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम.के अनुकूल बनाया जा सके निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल / सिंग वाटर / स्थानीय या धरातली जल वाले गाँवों में एस.वी.एस.प्रोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गाँवों में एस.वी.एस.

वाटर ग्रिड / क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.

मिनी सौर उर्जा आधारित पी.एल.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त / आदिवासी बस्तियों में स्थित है।

28 अभिनिर्धारित जल स्रोत ..... तकनीकी -आर्थिक और सामाजिक -आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना .....

इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि .....

यह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी. / आर.डब्ल्यू.एस.विभाग को सौंप दी जाएगी..... योजना की लागत ..... भारत सरकार का हिस्सा ..... व्यक्तिगत घरेलू अंशदान ..... वार्षिक प्रचालन व रखरखाव शुल्क ..... घरेलू मासिक जल शुल्क / प्रयोक्ता शुल्क ..... कोई दूरस्थ बसावट हो तो अभिनिर्धारित पी.डब्ल्यू.एस.....

VI मैल-जोल

( निम्नलिखित तालिका में उन सभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि / निधि मैल-जोल समंव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकता के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं। )

29.

योजनाओं का नाम	केंद्र / राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
घोबड़वाँ पित आयोग	ग्राम पंचायत	रे / वाटर मैनेजमेंट ड्रेनेज सिस्टम आदि।	
स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एस.वी.एस.जी.)	शेवजल और स्वच्छता विभाग जल संचित मंत्रालय	रे-वाटर मैनेजमेंट सोखता गड्डों (व्यक्तिगत / सामुदायिक) . अपविष्ट तलछट तालाब आदि।	
एम.जी.एन.आर.डी.जी.एस.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन(एन.आर.एम.)घटक के तहत सभी जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन / आर.डब्ल्यू.एस. / कृषि पुनर्भरण, जल निकासों का निर्माण / वृद्धि आदि।	
जल भंडारों की मरम्मत, नवीनीकरण और जोर्नाइजर	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जोर्नाइजर	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	कृषि सहकारी और किसान कल्याण	वाटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रजनमशी कृषि सिंचाई योजना	कृषि सहकारी और किसान	जल की खपत वाली विधियाँ	
(पी.एम.के.एस.वाई.)	कल्याण मंत्रालय	फसलों के लिए सूक्ष्म-सिंचाई का प्रावधान, एकीकृत जल की निकासी को कम करने के लिए	



# RHCF-NGO



संतिपूरक वर्गीकरण कोष प्रबंधन और आयोजन अधिकरण	पर्यावरण दम और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस.योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कोष विकास, प्रशिक्षण आदि।
समय विज्ञापन	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेयजल जापूर्ति का प्रावधान
आकस्मिक विज्ञापन कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विप्रेक्ष्य निधि के तहत जल संरक्षण गतिविधियां
जिला खनिज विकास निधि (डी. एन.ए.एफ.)	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियां
एन.पी.एल.ए.डी.	संघियाजी और कार्यक्रम कार्यालय मंत्रालय (एन.ओ.एस.पी.आई.)	अंतःग्राम अवसरचना
एन.एल.ए.एल.ए.डी.	राज्य	अंतःग्राम अवसरचना
संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान/जनजातीय उपयोजन (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतःग्राम अवसरचना
दानदाता/प्रयोजक		

अध्यक्ष का हस्ताक्षर— सुमन

पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस.विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर शिवप्रकाश

आई.एस.ए.प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर(यदि लागू हो) प्रदीप कुमार

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात पी.डब्ल्यू.एल.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का

अध्यक्ष का नाम और फोन नंबर सुमन देवी 9758333953

पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर शिवप्रकाश 9720469665

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

**पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:**

Sr.	महिला का नाम	पति का नाम	मोबाइल न.	बैंक खाता संख्या	IFSC कोड	ब्रांच
1.	नीलम कुमार	प्रताप सेंगर	9759248672	15171010001136	BKIDDEARY HUB	
2.	अनीता देवी	विरेंद्र सिंह	817126901	15171010001185	BKIDDEARY HUB	
3.	सुमित	जगदीप सिंह	8449901220	38120281736	SBI N0014 207	
4.	कालिका सेंगर	प्रदीप कुमार	7060769500	381233930428	SBI N0014 207	
5.	जिष्णु	कुल्लु कुमार	9997474570	15171010000760	BKIDDEARY HUB	

सुमन कुमार 10 जुगल किशोर  
 पी.ओ.ए. का नाम और फोन नंबर: 7300963394

ISA: RHCF  
 ISA प्रतिनिधि: प्रदीप कुमार



शिवप्रकाश  
 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी  
 ग्राम पंचायत  
 वि.सं. (हाथरस)